नगर परिषद संतोषगढ, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2012 से 31.3.2014

भाग–एक

1 **प्रारम्भिक :–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद संतोषगढ़, जिला ऊना के अवधि 4/12 से 3/14 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया। शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः UD-A(3) 1/2012 दिनाँक 28.10.2013 के द्वारा नगर पंचायत को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है।

अवधि 4/12 से 03/14 तक नगर परिषद संतोषगढ़ के प्रधान एवं सचिव निम्नानुसार थेः–

(1) प्रधान

नाम	अवधि
श्रीमती अन्जू बाला	01.04.2012 से 31.03.2014

(2) सचिव

श्रीमती वर्षा	01.04.2012 से 31.03.2014

(ख) नगर परिषद संतोषगढ़, के अवधि 04/12 से 03/14 के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः–

क्रमांक	गम्भीर अनियमितताओं का सम्बन्धित सार	पैरा संख्या	₹ लाख में
1	गृहकर, दुकानों स्टालों के किराए, चूल्हा टैक्स की लम्बित वसूली	6 (ख)(i) (ii)(iii)	55.15
2	मोबाईल टावर की लम्बित वसूली	6 (ख) (iv)	66.04
3	स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करना	7	79.62
4	कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का अधिक भुगतान	8 (ख)	0.13

5	संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की कम वसूली	9 (क)	1.61
6	संविदाकार से आयकर तथा बिक्री कर की कटौती न करना	9 (ख)	0.05
7	संविदाकार को अधिक भुगतान	9 (ग, घ, ङ, च)	0.43

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "xxi"** पर दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद संतोषगढ़, जिला ऊना के अवधि 4/2012 से 03/2014 के लेखाओं का अंकेक्षण, सर्व श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा संजीव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26.05.2014 से 26.06.2014 के दौरान संतोषगढ़ में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए मास 5/2012, 5/2013 तथा व्यय के लिए मास 1/2013, 4/2013 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

"The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the institution. The office of Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation and or non information on the part of auditee".

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर परिषद संतोषगढ़ के अवधि 4/2012 से 03/2014 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹26400 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के नाम प्रेषित करने के लिए अधियाचना संख्याः 119/2014, दिनांक 08.07.2014 द्वारा अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय बैंक सीमित सन्तोषगढ़ के बैंक ड्राफ्ट संख्याः 920093, दिनांक 23.07.2014 द्वारा भिजवा दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) नगर परिषद की अवधि 1.4.2012 से 31.3.2014 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट (i)** पर संलग्न के आधार पर निम्नानुसार थी।

वर्ष	आय का स्त्रोत	प्रारम्भिक शेष	आय	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2012–13	स्वस्त्रोत	189011	2015057	2204068	1744175	459893
	अनुदान	7576160	13587168	21153328	17277506	3875822
	कुल	7764171	15602225	23357396	19021681	4335715
2013–14	स्वस्त्रोत	459893	2248311	2708204	2285929	422275
	अनुदान	3875822	11743757	15619579	13663698	1955881
	कुल	4335715	13992068	18327783	15949627	2378156

दिनाँक 31.3.14 को स्वस्त्रोतों की आय का अन्तिम शेष ₹422275

दिनाँक 31.3.14 की अनुदान राशि का अन्तिम शेष ₹1955881

दिनाँक 31.3.2014 को रोकड़ बहियाँ/वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष ₹2378156

(ख) बैंक में जमा का विवरणः–

बचत खाते में उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट (A) पर संलग्न**) के अनुसार दिनाँक 31.3.2014 के जमा राशि का विवरण निम्नानुसार थाः–

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि	टिप्पणी
1	के0सी0सी0 बैंक सन्तोषगढ़	20026007203	366362	Relates to Main Cash Book
2	सी0बी0आई0 सन्तोषगढ़	2140111434	3209	-do-
3	सी0बी0आई0 सन्तोषगढ़	2140082569	132789	-do-
4	सी0बी0आई0 सन्तोषगढ़	2140107631	122765	-do-
5	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	4395	1436046.65	-do-
6	पी0एल0ए0 ऊना		5506.17	-do-
7	डाकघर		164.00	-do-
8	के0सी0सी0 बैंक सन्तोषगढ़	20026020382	251913.00	R.G.U.R.F.
9	एस0बी0पी0 मैहतपुर	65014237089	841556	S.W.M.P.
10	पी0एन0बी0 सन्तोषगढ़	2526015	79305	I.D.S.M.T
		Grand Total	**3239615.82**	

(ग) बैंक समाधान विवरणः–

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार बैंक बैंक समाधान का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ii)** पर संलग्न है।

बैंक समाधान विवरण की पड़ताल में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईः–

(1) बैंक समाधान विवरणानुसार चैक संख्या 31017 दिनाँक 22.7.10 को ₹1520/– रोकड़ बही में डेबिट किया गया था लेकिन बैंक द्वारा इस राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। अतः ₹1520/– को पुनः रोकड़ बही में लेखाबध न करने बारे स्थिति स्पष्ट करें इस चैक का लेखाकरण रोकड़ बही में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) चैक संख्या 222846 दिनाँक 7.3.2007 के तहत ₹1925/–की आय प्राप्त की गई थी जिसके एवज में जी–8 संख्या 85/10 जारी की गई थी लेकिन इस राशि को बैंक खाता मे जमा नहीं किया गया जिसे अब उचित स्त्रोत से वसूली करके जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

(3) चैक संख्या 223327 दिनाँक 7.03.2007 के तहत ₹2000/– की आय प्राप्त की गई थी जिसके समर्थन में जी–8 संख्या 86/11 परन्तु यह राशि बैंक खाते में जमा नहीं की गई इस

बारे स्थिति स्पष्ट करें व उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके अब जमा करवाया जाए।

5 सरकारी अनुदान (Grant-in-Aid) :–

(क) अवधि 4/2012 से 03/2013 के दौरान आय का मुख्य स्त्रोत प्राप्त अनुदान की राशि थी। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा प्राप्त अनुदान राशि का विवरण निम्न प्रकार से विभिन्न परिशिष्टों में दिया गया है।

क्रम संख्या	विवरण	परिशिष्ट
1	3rd /4th state Finance	(iii)
2	13th Finance	(iv)
3	Maintenance of ULB Roads	(v)
4	SJSRY	(vi)
5	D.C. Grants	(vii)
6	Rain Demages/ Calamity relief	(viii)
7	District Welfare	(ix)
8	RGURF	(x)
9	IDSMT Project	(xi)
10	SWMP	(xii)

(ख) दिनाँक 31.3.2014 अनुदान की अनुपयोगी राशि ₹1955881/–

सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि ₹1955881/– दिनाँक 31.3.2014 को अनुपयोगी थी विस्तृत विवरण (परिशिष्ट–1) पर दिया गया है। सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करके अनुपयुक्त राशि का उपयोग समयवध उसी उद्देश्य हेतु किया जाए जिस उद्देश्य के लिए इसे प्राप्त किया गया है अन्यथा राशि का सरकार को प्रत्यर्पण किया जाए।

6 आय :–

(क) नगर परिषद संतोषगढ़ द्वारा प्राप्त आय के स्त्रोत प्रमुखतः निम्न प्रकार से हैंः–

(i) House Tax/Sanitation Tax.
(ii) Rent of shops/stalls.
(iii) Teh. Bazari.
(iv) Electricity cess.
(v) Liquor cess.
(vi) Chullah Tax.
(vii) Interest of Banks.
(viii) NOC for water/Electricity connection.
(ix) Copying fees.
(x) Brick kilns fees.
(xi) Building application fees
(xii) Advance & deposit/Audit recovery.
(xiii) Rehri Licence fees.
(xiv) Misc.
(xv) Banglow/Rent house/Rein Basera
(xvi) Marriage Registeration Fee.
(xviii) Grants.

(ख) ₹5682312 की लम्बित वसूलियाँः–

नगर परिषद संतोषगढ़ की विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2014 तक ₹5682312 की वसूलियाँ लम्बित थी जिनका विस्तृत विवरण निम्न पैरों में दिया गया हैः–

(i) गृहकर के रूप में दिनांक 31.03.2014 तक ₹4229352/– की लम्बित वसूलियांः–

लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 31.03.2014 **परिशिष्ट (xiii)** के अनुसार गृह कर के रूप में ₹4229352/– विभिन्न करदाताओं से वसूल की जानी शेष थी। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994, की धारा 87 (i) के अन्तर्गत यदि नगर पंचायत/परिषद को देय कर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में टी0एस0 10(ए) में पूर्ण सूचना तैयार करके नगर परिषद के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करनी वांछित थी तथा सम्बन्धित करदाताओं के विरूद्ध उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी आवश्यक थी। लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस सम्बन्ध में काफी लम्बे समय से करों का भुगतान न करने वाले करदाताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में

नहीं लाई जा रही है जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद के क्रिया कलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा लम्बित राशियों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अतः शेष राशि की वसूली के लिए प्रभावी पग उठाए जाए।

(ii) दुकानों/स्टालों के किराए के रूप में दिनांक 31.03.2014 तक ₹1031710/—की लम्बित वसूलियॉः—

नगर परिषद संतोषगढ़ द्वारा किराए पर दी गई दुकानों/स्टालों से किराए के रूप में **परिशिष्ट (xiv)** के अनुसार ₹1031710/—वसूली हेतु शेष थी। किराए की वसूली हेतु सचिव द्वारा कोई भी नोटिस दुकानदारों को जारी नहीं किया गया। अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएं तथा नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। नगर परिषद द्वारा प्रभावशाली पग न उठाए जाने के कारण दुकानों के किराए की लम्बित राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अतः इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा लम्बित किराए की वसूली शीघ्र की जाए।

(iii) चूल्हा टैक्स की लम्बित राशि ₹342820/— की वसूली न करना :—

नगर परिषद संतोषगढ़ द्वारा **परिशिष्ट (xv)** के अनुसार दिनांक 31.03.2014 तक चूल्हा टैक्स की ₹342820 वसूली हेतु शेष थी जिसे शीघ्र वसूला जाए।

(iv) नगर परिषद द्वारा मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹66430/— की दिनांक 31.3.2014 तक बकाया राशि वसूली न करनाः—

नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा दिनांक 31.3.2014 तक मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क की राशि **परिशिष्ट (xvi)** के अनुसार ₹66430/—लम्बित थी जिसकी शीघ्र वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या आई0टी0 डी0ई0वी0 (आई0टी) 2005 (विविध) दिनांक 22.8.2006 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात टावर नवीनीकरण शुल्क में 25**%** की वृद्धि अपेक्षित थी, परन्तु जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत सन्तोषगढ़ द्वारा जिन टावरों को लगे हुए 5 वर्ष हो गए है उनके नवीनीकरण शुल्क में 25**%** की बढ़ौतरी नियमानुसार नहीं की गई जिसके बारे में वांन्छित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित करें।

(v) नगर परिषद द्वारा ब्रिक किल्न शुल्क के रूप में ₹12000/– की दिनाँक 31.3.2014 तक बकाया राशि वसूली न करनाः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा **परिशिष्ट (xvii)** के अनुसार दिनाँक 31.3.2014 तक ब्रिक किल्न शुल्क ₹12000/–विभिन्न ईटों के भटठों के मालिकों से वसूली हेतु शेष थी अपेक्षित शुल्क की वसूली शीध्र की जाए।

(ग) विद्युत उपयोग कर की वसूली न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0डी (1)–9/94 दिनाँक 24.8.2000 के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद को भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया था लेकिन नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा अवधि 1.4.2011 से 31.3.2014 के लिए विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की गई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) दुकानों के किराए में नियमानुसार बढ़ौतरी न करनाः–

आयुक्त एवं सचिव (शहरी विकास विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0–एफ(6)–1/85 दिनांक 21.12.2000 के नियम 5 (क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष के उपरान्त किराए में 10**%** की बढ़ौतरी का प्रावधान है तथा दुकानदारों से नियमानुसार अनुबन्ध किए जाने हैं परन्तु दुकानों के किरायें में बढ़ौतरी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं की गई जिन्हें अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

(ङ) दुकान संख्या 585 की वर्ष 2013–14 की माँग न करने बारेः–

श्री हरजिन्द्र सिंह को आंबटित दुकान संख्या 585 के किराए का मामला उप मण्डलाधिकारी कार्यालय ऊना से तह किया गया है। परन्तु निर्णय की प्रति अंकेक्षण में

उपलब्ध नहीं करवाई गई। वर्ष 2012—13 तक दुकान किराए की वसूली योग्य राशि माँग एवं प्राप्ति पंजिका के अनुसार ₹70545 थी लेकिन वर्ष 2013—14 के लिए दुकानदार से माँग एवं प्राप्ति पंजिका के अनुसार किराए की कोई भी माँग नहीं की गई है। अतः इस बारे वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(च) नई आंबटित दुकानों के अनुबन्ध उपलब्ध न करने बारेः—

निम्नानुसार आंबटित दुकानों के अनुबन्ध आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

दुकानदार का नाम	आंबटन की तिथि
श्री तिलक राज	15.2.2013
श्री संजय सिंह	10.8.2012
श्री एस0के0 गुप्ता	11.8.2012
श्री बुद्ध राम	16.7.2012

(छ) दुकानों को किराए पर देने के लिए अखबार में विज्ञापन न देनाः—

आयुक्त एवं संचिव (शहरी विकास विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी—एफ (6)—1/85 दिनाँक 21.12.2000 के अनुसार दुकानों को किराए पर देने के लिए अखबार में विज्ञापन दिया जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर परिषद द्वारा किराए पर दी गई दुकानों के विज्ञापन अखबार में नहीं दिए गए हैं जिसका औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए।

(ज) टैन्डर फार्म की बिक्री से ₹4000 की कम वसूलीः—

संविदाकारों को निम्नानुसार बिक्री किए गए निविदा फर्मों को निर्धारित दर पर बिक्री न करने के फलस्वरूप ₹4000/— की कम प्राप्त हुई है जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य	फार्म संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली	अन्तर

1	C/O Drain from Kuja Chowk to Sawan Phase-I	502459	1000	4	4000	2000	2000
2	C/O Drain from Kuja Chowk to Swan Phase-II	502459	1000	4	4000	2000	2000
							4000

(झ) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹4130/– राजकोष में जमा न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के Social Justice and Empowement Department की अधिसूचना संख्याः WLF-A (3) 1/97 दिनाँक 17.12.04 के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को चालान द्वारा राजकोष में जमा करवाया जाना है। सचिव नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 2.3.2006 से 31.3.2014 तक नगर परिषद ने विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹4130/– वसूल की है जिसे नगर परिषद द्वारा नियमानुसार/सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया था जिसे अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाए जाने के उपरान्त एकत्रित की गई ₹4130/– विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को चालान संख्या 34 दिनाँक 9.6.2014 द्वारा राजकोष में जमा करवाने बारे पुष्टि कर ली गई है।

7 स्वीकृत बजट से ₹7962339/–का अधिक व्यय करनाः–

नगर परिषद का अवधि 4/2012 से 3/2014 तक का स्वीकृत बजट व व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार थाः–

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अन्तर
2012–13	10447500	17277506	6830006
2013–14	12531365	13663698	1132333
			7962339

उक्त अधिक किए गए व्यय का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई है। अतः इस प्रकरण में म्युनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक शहरी विकास विभाग का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 स्थापना :–

(क) नगर परिषद संतोषगढ़ मे अंकेक्षण अवधि के दौरान कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण **परिशिष्ट 'xviii'** पर संलग्न है।

(ख) कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता ₹13350/– का अधिक भुगतानः–

परिषद द्वारा विभिन्न कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः फिन (सी) बी (7) 1/2012 दिनाँक 28.2.2012 के अनुरूप न करके ₹13350/– का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया विस्तृत विवरण परिशिष्ट (गपग) पर संलग्न है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान किये गये ₹13550/– की वसूली करके परिषद खाते में अभिलम्ब जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) श्री सन्तोष कुमार चालक को ₹250/– चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि का अधिक भुगतानः–

वाऊचर संख्या 376 मास 1/2013 की जाँच करने पर पाया गया कि श्री संन्तोष कुमार चालक को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की राशि लिपिड प्रोफाईल की जाँच के लिए ₹400 भुगतान किए गए जबकि नियमानुसार इन्हें ₹150/– की प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित थी परिणामस्वरूप ₹250/– का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक किये गये भुगतान ₹250/– की वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

(घ) श्रीमती वर्षा सचिव के निम्नविवरणानुसार यात्रा भत्ता दावा भुगतान तथा प्रवास कार्यक्रमों का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से नहीं करवाया गया है यह अनियमित है अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

वा0सं0	मास	राशि
377	1/2013	1458
518	4/2013	132

(ङ) सामान्य भविष्य निधि की रोकड़ बही तथा कर्मचारियों की खाताबही सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना

अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2014 तक सामान्य भविष्य निधि की रोकड़ बही तथा कर्मचारियों की खाता बहियाँ में प्रविष्टियाँ सचिव नगर परिषद द्वारा सत्यापित/हस्ताक्षरित नहीं की गई है यह अनियमित है इस जिन्हें अब सत्यापित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(च) अवधि 4/2012 से 3/2014 तक कर्मचारियों के वेतन भुगतान से सम्बन्धित पंजिका का रख रखाव नहीं की गई है। यह अनियमित है। अतः वाँछित अभिलेख अब तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(छ) श्री जीत राम चौकीदार को दिनाँक 1.8.2013 से देय वार्षिक वेतन ₹10 अधिक दी गई है। उन्हें किए गए अधिक भुगतान की गणना अपने स्तर पर करके वसूली सुनिश्चित की जाए।

दिनाँक	निर्धारित वेतन PB+GP	देय वेतन PB+GP	अन्तर
1.8.2013	6140+1300=7440	6130+1300=7430	10

9 निर्माण कार्यः–

(क) निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर ₹160763/– बिक्री कर की कम कटौतीः–

अवर सचिव (ई एण्ड टी) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या EXN-F(5)-1/2010 Loose दिनाँक 13.8.2012 के अनुसार श्रेणी "सी" तथा "डी" संविदाकारों द्वारा निष्पादित किए गए निर्माण कार्य बिलों से 3**%** की दर से बिक्री कर की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा संविदाकारों के निर्माण बिलों से 3**%** की बजाए 2**%** की दर से बिक्री कर की कटौती की गई फलस्वरूप ₹160763/– बिक्री कर की कटौती कम की गई है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट XX** पर संलग्न है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः ₹160763/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि चालान द्वारा राजकोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

RGURF

(ख) संविदाकर से आयकर तथा बिक्री कर ₹4714/– की कटौती न करनाः–

निर्माण कार्य "C/O Parking Park near Cremation ground" के भुगतान वाऊचर संख्या 25 माह 4/2013 तहत ₹93173/– का भुगतान श्री हरपाल सिंह संविदाकार को किया गया निम्नानुसार बिक्री कर तथा आयकर ₹4714 की कटौती संविदाकार से नहीं की गई थी। अतः ₹4714 की वसूली उचित स्त्रोत से करके सरकारी कोष में नियमानुसार जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

कुल भुगतान	बिक्रीकर 3%	आयकर 2 %	आयकर पर सरचार्ज 3%	कुल राशि
93173	2795	1863	56	4714

RGURF

(ग) निर्माण कार्य का नामः– C/O Parking and Park at cremation ground santoshgarh (Sh. C/O Remaining work)

संविदाकार का नामः– श्री हरपाल सिंह

आंबटन पत्र संख्याः– 124–131 दिनाँक 5.1.2012

मापन पुस्तिका एवं पृ0सं0ः– RGURF पृ0 36 से 41

बिलः– प्रथम एवं अन्तिम

संविदाकार को ₹1416/– का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त निमार्ण कार्य की मापन पुस्तिका RGURF पृष्ठ 31 से 41 में मद संख्या 12 की गणना की जाँच करने पर पाया गया कि गलत गणना करने के परिणामस्वरूप संविदाकार को निम्नानुसार ₹1416/– का अनुचित/अधिक भुगतान किया गया, जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित की जाए।

मापन पुस्तिका पृ0सं0	मद सं0	विवरण	गणना ली गई	उचित मात्रा	अन्तर	दर	राशि
40	12	15mm thick	1x1.40x1.30x.80/2				

		C.P.					
			=2.95m2	0.73m2			
			8x1.80x.20=14.40m2	2.88m2			1084
			17.35m2	3.61m2	13.74m2	78.90	
41	14	Distempering with dry drydistemper	831.20m2	818.20m2	13m2	25.50	332
							1416

(घ) निर्माण कार्य का नामः– C/O Park near Rehan Basera Building W.N. 5 (P/F Railing and gates etc.)

संविदाकार का नामः– श्री अम्बिका दत्त

आबटन पत्र संख्याः–पत्र संख्या 290–92

बिल प्रथम एवं अन्तिम

मापन पुस्तिका एवं0 पृ0 सं0ः– RGURF पृ0 32 से 34

संविदाकार को ₹7205/– का अधिक भुगतानः–

उपरोक्त निर्माण कार्य की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार ने अपनी निविदा में मद "P/F Steel work in welded in built up sections trusses i/c cutting, hoisting, fixing in position." की दर Schedule of Rates से 14**%** Premium भरी गई थी। उक्त मद की Schedule of Rates के अनुसार दर ₹7569.45 प्रति क्विंटल है। अतः संविदाकार को मद के निष्पादन करने हेतु भुगतान ₹7569.45+14**%** Premium के अनुसार प्रति क्विंटल के लिए देय बनता था। परन्तु संविदाकार को भुगतान ₹88 प्रति किलो की दर से करते हुए ₹7205 का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक किये गये भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

मद की मात्रा	भुगतान दर	भुगतान किया गया	देय दर	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
4217.04 कि0ग्रा0	88 per Kg.	371099	7569-45 Per quintal Add 14%	319206 44688	7205

Premium

363894

संविदाकार को ₹741 का अधिक भुगतानः—

(ङ) निर्माण कार्य का नामः— C/O Remaining work of Park near Rehan Basera Builidng under RGURF

संविदाकार का नामः— श्री अम्बिका दत्त

आंबटन पत्र संख्याः—प्रथम एवं अन्तिम

मापन पुस्तिका संख्याः— RGURF पृष्ठ 42 से 44

बिल प्रथम एवं अन्तिम

रहन बसेरा के नजदीक पार्किंग के शेष कार्य के सम्पूर्ण से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या RGURF पृष्ठ 42 से 44 की जाँच करने पर लेखा परीक्षा में पाया गया कि मापन पुस्तिका में जोड़ों की गलत गणना के कारण संविदाकार (श्री अम्बिका दत्त) को ₹502252/—के स्थान पर ₹502993/— का भुगतान किया गया परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹741/— का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

संविदाकार को ₹33784/— का अधिक भुगतानः—

(च) निर्माण कार्य का नामः— C/O Nalla drain from Kuja chook towards swan river (Sh. P/F Gravel Blast 40 to 90 mm & send 50% each Nalla wale rides and raining the level of road.

संविदाकार का नामः— श्री रविन्द्र कुमार

आंबटन पत्र संख्याः— 293—295 दिनाँक 30.8.2012

मापन पुस्तिका संख्याः— 25 पृष्ठ 53

बिल प्रथम एवं अन्तिम बिल

निर्माण कार्य की जाँच करने पर पाया गया कि RD 00 से 210 तक नाले के दोनों तरफ सीमेन्ट कंक्रीट की दीवारें लगाते हुए निर्माण कार्य का निष्पादन किया गया जिसका मापन, मापन पुस्तिका में निम्नानुसार किया गया थाः—

पृ0सं0	बिल	आर0डी0	लम्बाई

12	प्रथम चलत बिल	0/00 से 0/75	75 मी0
31	द्वितीय एवं अन्तिम बिल	0/00 से 0/75	–
18	प्रथम एवं अन्तिम बिल	0/75 से 0/150	75 मी0
38	प्रथम एवं अन्तिम बिल	0/150 से 0/210	60 मी0
			210 मी0

अर्थात 210 मीटर लम्बाई के लिए नाले के दोनों ओर दीवारें लगाई गई थी तथा इन दानों दीवारों के पीछे बचे खाली जगह में Graval Blast 40 to 90mm and sand 50% भरी जानी थी, परन्तु जाँच में पाया गया कि graval blast 40 to 90mm and sand 50% का कार्य 315 मीटर लम्बाई के लिए करते हुए संविदाकार को ₹33784/– का अधिक भुगतान किया गया है क्योंकि यह भुगतान भी 210 मीटर लम्बाई के लिए ही किया जाना अपेक्षित था। अतः 103.95 घन मीटर अधिक कार्य का निष्पादन किया गया परिणामस्वरूप निम्नविवरणानुसार ₹33784/– का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक किये गये भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

मात्रा/मापन लिया गया	**मापन/मात्रा ली जानी थी**	**अन्तर**	**दर**	**अधिक भुगतान**
2x315x.30x1.50+1.80/2= 311.85 घन मी0	2x210x.30x150+1.80/2=207.90 घन मी0	103.95 घन मी0	325	33784

(छ) निर्माण कार्यों के लिए आमन्त्रित निविदाओं में मदों की अनुसूची तथा मात्रा न दर्शाने बारेः–

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाए गए निर्माण कार्यों के लिए संविदाकारों को जारी किए गए निविदा फार्मों के साथ मदों की अनुसूचि तथा मात्रा नहीं दर्शाई गई थी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि संविदाकार को इस बात का कैसे पता चलता है कि नगर पंचायत द्वारा किन–किन मदों को तथा कितनी मात्रा में निष्पादित करवाया जाना है। यद्यपि नगर पंचायत द्वारा प्रतिशतता आधार पर निविदाएं आमन्त्रित की जा सकती है परन्तु उनमें भी निर्माण कार्यो में निष्पादित होने वाली मात्रा तथा नाम दर्शाए जाने अनिवार्य है। इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा निविदाएं मात्र औपचारिकता पूर्ण करने हेतु ही आमन्त्रित की गई प्रतीत होती है। परिणामस्वरूप इन दरों के न्यूनतम होने बारे एक आदर्श तुलनात्मक पुष्टि नहीं की जा सकी। इस बारे गत अंकेक्षण के पैरा संख्या 22 में भी आपत्ति उठाई गई थी

परन्तु नगर परिषद द्वारा इस बारे कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। अतः नियमानुसार इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रक्रिया पर तुरन्त रोक लगाई जाए।

(ज) आर0सी0सी0 कार्य में सक्षम अधिकारियों का टैस्ट चैक न करनाः–

शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के न्यू अकाऊंटिंग मैनुअल के नियम 11.6 (4) (vi) के अनुसार आर0सी0सी0 कार्य के लिए सहायक अभियन्ता द्वारा 100 प्रतिशत टैस्ट चैक करवाया जाना अनिवार्य है। परन्तु नगर परिषद के निर्माण कार्यों में नियमानुसार सक्षम अधिकारियों का टैस्ट चैक नहीं करवाया गया जिस बारे इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(झ) लेबर सैस की वसूली बारेः–

बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कस (आर ई एण्ड सी एस) एक्ट 1996 एण्ड सैस एक्ट 1996 के हिमाचल प्रदेश में दिनाँक 4.12.2008 से लागू होने के कारण संविदाकारों कें निर्माण बिलों से 1**%** की दर से लेबर सैस की वसूली की जानी थी। जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उक्त दिनाँक के पश्चात करवाए गए निर्माण कार्यों से कोई भी लेबर सैस की वसूली नहीं की गई है और न ही संविदाकारों से किए गए अनुबन्ध तथा आंबटन आदेश पत्र में लेबर सैस की वसूली बारे शर्त लगाई जा रही है। अतः इस अनियमितता के बारे में इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करके संविदाकारों के निर्माण बिलों से 1**%** की दर से लेबर सैस की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ञ) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कार्यों को आबंटित करनाः–

शहरी विकास विभाग के न्यू अकाऊंटिंग मैनुअल के पैरा 11.6 (4) (i) के अनुसार "All tenders upto Rupees five lakh shall be opened by the Municipal Engineer at the time and place specified in the notice issued under the provisions of such 11.6 (2) in presence of the executive officer/Secretary of the municipality and after that M.E. shall submit to the administrator/municipality in this behalf all the valid tenders receied by the date, together with his recommenbations as to which tender should be accepted, and the administrator/President, other offiocer, Chairman of the sub committee shal sign the tender or tenders which he or she considers should be accepted in taken of such acceptance, which will be finally approved by Director. The work will be awaeded by Municipal Engineer."

जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वार करवाए गए निर्माण कार्यों के लिए निदेशक शहरी विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त किए बिना सचिव द्वारा अपने स्त्तर पर ही

संविदाकारों को निर्माण कार्यें आबटित किया जा रहा है जिसके लिए यह उक्त नियम के अन्तर्गत सक्षम नहीं है। अतः इस बारे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

SJSRY

10 ₹57608/– का अनियमित भुगतानः–

नगर परिषद द्वारा SJSRY के अन्तर्गत BPL परिवार के बच्चों को कम्पयूटर ट्रेनिंग करवाने हेतु निम्न संस्थाओं को वाऊचर संख्या 399 तथा 400 माह 1/2013 के तहत ₹57600/– का भुगतान किया गया।

क्र0सं0	संस्था का नाम	छात्र सं0	ट्रेनिंग अवधि	राशि
1	हिम गौरव कम्पयूटर सैन्टर	4	1.7.2012 से 31.12.2012	14400
2	SNIIT कम्पयूटर सैन्टर	4	1.7.2012 से 31.12.2012	14400
3	SNIIT कम्पयूटर सैन्टर	8	1.1.2013 से 30.6.2013	28800
				57600

उक्त भुगतान में निम्न अनियमितताएँ पाई गईः–

(i) सरकार द्वारा जारी SJSRY योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार BPL परिवार के बच्चों को कम्पयूटर ट्रेनिंग रजिस्टर्ड आई0टी0आई0 संस्थाओं से करवाई जानी अपेक्षित है। लेकिन उकत दर्शाई गई संस्थाऐं & नियमानुसार कोई भी रजिस्टर्ड नहीं थी। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ii) ट्रेनिंग करवाने का कोईं भी प्रस्ताव नगर परिषद द्वारा नियमानुसार पारित नहीं किया गया था। यह अनियमित है व्यय को परिषद की नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्तकर नियमित करवाया जाए। अतः नियमानुसार उपरोक्त बारे वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 भुगतान की रसीदें प्राप्त न करनाः–

वाऊचर संख्या 401 माह 1/2013 के तहत ₹9600/– का भुगतानः–

SJSRY Scheme के अन्तर्गत 8 सदस्यों को जिन्होंने वर्ष 2011–12 के दौरान ट्रेनिंग की थी ₹100 प्रतिमास प्रति सदस्य की दर से Stipned की राशि का भुगतान किया गया

लेकिन भुगतान के समर्थन में छात्रों की रसीदें प्राप्त नहीं की गई है जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

12 वाऊचर संख्या 523 मास 4/2013 ₹1 लाख

उपरोक्त भुगतान वाऊचर द्वारा हिम गौरव प्राईवेट आई0टी0आई0 सन्तोषगढ़, जिला ऊना को 10 छात्र छात्राओं जोकि BPL परिवारों से सम्बन्धित थे ₹10000/– प्रति छात्र की दर से ट्रेनिंग हेतु ₹1 लाख भुगतान किए गएं परन्तु ट्रेनिंग करवाने के लिए नगर परिषद न कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया था। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए।

13 SJSRY Scheme के अन्तर्गत निम्नानुसार विभिन्न कार्य करने के लिए बैंक से लिए गए ऋण के लिए सबसिडी प्रदान की गई जोकि BPL परिवारों के सदस्य थे परन्तु नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा इसका कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा व्यय को परिषद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

वा0सं0	**मास**	**नाम**	**राशि**
533	4/2013	मनू वूल महिला समूह	175000
534	4/2013	श्री राम लाल	25000
535	4/2013	(i) श्रीमती कमलेश कुमारी	25000
		(ii) श्रीमती अमरजीत कौंर	25000

14 (i) वाऊचर संख्या 391 मास 1/2013 ₹20000

(ii) वाऊचर संख्या 522 मास 4/2013 ₹75000

उपायुक्त ऊना द्वारा कार्य "Complition of Community Bhawan near Ravi Das Mandir at Santoshgarh" के लिए पत्र संख्या PLG-Una (MPLADS)/LS/2011-12/14-18 दिनाँक 6.4.2012 के द्वारा ₹1 लाख की राशि स्वीकृति की गई थी स्वीकृति पत्र में जारी दिशा/निर्देशा अनुसार यह कार्य सचिव नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा करवाया जाना है परन्तु यह राशि प्रधान श्री गुरू रविदास धार्मिक सभी सन्तोषगढ़ को जारी कर दी गई जबकि यह कार्य नगर परिषद द्वारा अपने स्तर पर ही करवाया जाना था। स्वीकृति पत्र में जारी किये गये

दिशा/निर्देशों के अनुसार कार्य न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यह प्रकरण उपायुक्त ऊना के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

15 ₹7000/– का अनियमित भुगतान

वाऊचर संख्या 528 माह 2/2013 के तहत ₹7000/– का भुगतान परिषद द्वारा श्री नरेश कुमार ठाकुर अधिवक्ता को कमल V/S State & Nagar Panchayat कोर्ट केस मामले में भुगतान बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति तथा नगर परिषद के प्रस्ताव के किया गया है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः व्यय को सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाए।

16 नगर परिषद द्वारा निम्नानुसार अभिलेख जॉच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया जिस बारे चर्चा मे बताया गया कि यह अभिलेख तैयार नहीं किया गया यह सन्तोषजनक नहीं है। अतः वांन्छित अभिलेख अब तैयार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(क) वर्कस रजिस्टर

(ख) संविदाकार की खातावही

(ग) टैण्डर फॉर्म बिक्री करने का अभिलेख

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा भण्डार की मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष नहीं करवाया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 15.17 के अन्तर्गत स्टोर एवं स्टॉक का प्रतिवर्ष/प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। स्टोर एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

18 लघु आपत्ति विवरणिका :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया क्योंकि समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर कर लिया गया।

19 निष्कर्ष :— लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :— V(25)फिन (एल0ए0)खण्ड—5—6266—6268 दिनांक,18.10.2014 शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—171002

पंजीकृत :— 2. सचिव, नगर परिषद संतोषगढ़, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

3. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश शिमला—171003.

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

परिशिष्ट (xxi) पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में

नगर परिषद संतोषगढ़ के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची :–

(क) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/70 से 03/80

1	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(vi)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(i)(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(ए)	अनिर्णीत
5	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
6	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत
8	पैरा 13(ई)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(जी)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(एल)	अनिर्णीत
12	पैरा 13(एस)	अनिर्णीत
13	पैरा 13(टी)	अनिर्णीत
14	पैरा 13(यू)	अनिर्णीत
15	पैरा 13(डब्ल्यू)	अनिर्णीत
16	पैरा 13(जैड)(ए0सी0)	अनिर्णीत
17	पैरा 13(जैड)(ए0डी0)	अनिर्णीत
18	पैरा 13(जैड)(ए0ई)	अनिर्णीत
19	पैरा 14	अनिर्णीत
20	पैरा 16(ए)	अनिर्णीत
21	पैरा 16(बी)	अनिर्णीत
22	पैरा 16(सी)	अनिर्णीत

23	पैरा 16(डी)	अनिर्णीत
24	पैरा 16(ई)	अनिर्णीत
25	पैरा 17(ए)	अनिर्णीत
26	पैरा 17(डी)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/80 से 03/81

1	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 10(ई)	अनिर्णीत
6	पैरा 10(एफ)	अनिर्णीत
7	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(सी)	अनिर्णीत
10	पैरा 13	अनिर्णीत
11	पैरा 15(एच)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/81 से 03/84

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 16	अनिर्णीत
3	पैरा 19(बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 23(ए)	अनिर्णीत
5	पैरा 27	अनिर्णीत
6	पैरा 37(बी)(iii)	अनिर्णीत
7	पैरा 39	अनिर्णीत
8	पैरा 40(ए)	अनिर्णीत
9	पैरा 40(बी)	अनिर्णीत

10	पैरा 40(बी)(i)	अनिर्णीत
11	पैरा 40(बी)(ii)	अनिर्णीत
12	पैरा 40(बी)(iii)	अनिर्णीत
13	पैरा 40(बी)(iv)	अनिर्णीत
14	पैरा 40(बी)(v)	अनिर्णीत
15	पैरा 40(बी)(vi)	अनिर्णीत
16	पैरा 41	अनिर्णीत
17	पैरा 41(ए) से (ओ)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/84 से 03/85

1	पैरा 15(6)	अनिर्णीत
2	पैरा 15(7)	अनिर्णीत
3	पैरा 15(9)	अनिर्णीत
4	पैरा 15(12)	अनिर्णीत
5	पैरा 15(13)	अनिर्णीत
6	पैरा 15(14)	अनिर्णीत
7	पैरा 15(15)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/85 से 03/86

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 15(3)	अनिर्णीत

(च) श्री टी0आर0 लखनपाल परीक्षक का दिनांक 28.04.1987 का अंकेक्षण एंव निरीक्षण

1	पैरा 1(ए)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/86 से 03/87

1	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 03/91

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(छ)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(झ)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(ञ)	अनिर्णीत
10	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
13	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(छ)(i)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 8	अनिर्णीत
18	पैरा 9(क) से (ङ)	अनिर्णीत
19	पैरा 11	अनिर्णीत
20	पैरा 12	अनिर्णीत

21	पैरा 13	अनिर्णीत
22	पैरा 14(क) व (ख)	अनिर्णीत
23	पैरा 15(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
24	पैरा 16(क)	अनिर्णीत
25	पैरा 17(क)(ख)	अनिर्णीत
26	पैरा 18	अनिर्णीत
27	पैरा 19(क)(ख)	अनिर्णीत
28	पैरा 19(ग)	अनिर्णीत
29	पैरा 20(क)(ख)	अनिर्णीत
30	पैरा 21	अनिर्णीत
31	पैरा 22(क)	अनिर्णीत
32	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत
33	पैरा 22(ग)	अनिर्णीत
34	पैरा 24	अनिर्णीत
35	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
36	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत
37	पैरा 26	अनिर्णीत
38	पैरा 27(क)	अनिर्णीत
39	पैरा 28	अनिर्णीत
40	पैरा 29(ख)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/95

1	पैरा 3(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
7	पैरा 7(क)	अनिर्णीत

8	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
12	पैरा 9(viii)	अनिर्णीत
13	पैरा 9(ix)	अनिर्णीत
14	पैरा 9(x)	अनिर्णीत
15	पैरा 9(xii)	अनिर्णीत
16	पैरा 9(xiii)	अनिर्णीत
17	पैरा 9(xiv)	अनिर्णीत
18	पैरा 9(xvii)	अनिर्णीत
19	पैरा 9(xviii)	अनिर्णीत
20	पैरा 9(xxiv)	अनिर्णीत
21	पैरा 9(xxvii)	अनिर्णीत
22	पैरा 9(xxviii)	अनिर्णीत
23	पैरा 9(xxx)	अनिर्णीत
24	पैरा 9(xxxii)	अनिर्णीत
25	पैरा 9(xxxv)	अनिर्णीत
26	पैरा 9(xxxviii)	अनिर्णीत
27	पैरा 9(xxxx)	अनिर्णीत
28	पैरा 9(xxxxv)	अनिर्णीत
29	पैरा 9(xxxxvi)	अनिर्णीत
30	पैरा 9(xxxxviii)	अनिर्णीत
31	पैरा 13(i)	अनिर्णीत
32	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत
33	पैरा 13(viii)	अनिर्णीत
34	पैरा 13(ix)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/95 से 03/2004

1	पैरा 19	अनिर्णीत
2	पैरा 21	अनिर्णीत
3	पैरा 25	अनिर्णीत
4	पैरा 27	अनिर्णीत
5	पैरा 28	अनिर्णीत
6	पैरा 29	अनिर्णीत
7	पैरा 30	अनिर्णीत
8	पैरा 32	अनिर्णीत
9	पैरा 33	अनिर्णीत
10	पैरा 34	अनिर्णीत
11	पैरा 37	अनिर्णीत
12	पैरा 39	अनिर्णीत
13	पैरा 41	अनिर्णीत
14	पैरा 42	अनिर्णीत
15	पैरा 46	अनिर्णीत
16	पैरा 47	अनिर्णीत
17	पैरा 48	अनिर्णीत
18	पैरा 49	अनिर्णीत
19	पैरा 50	अनिर्णीत
20	पैरा 51	अनिर्णीत
21	पैरा 52	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2007

1	पैरा 7(ए)(i)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(ए)(vi)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(ए)(vii)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(डी)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010

1	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत	
2	पैरा 6 (5) (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6 (5) (3)	अनिर्णीत	
4	पैरा 6 (5) (4) (i)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6 (6)	निर्णीत	(नगर परिषद के सचिव द्वारा दिए गए सटिप्पण उत्तर के अनुसार हिमाचल प्रदेश पालिका अधिनियम 1994 की घारा 310(1) के अनुसार चूल्हा टैक्स की वसूली वैध है क्योंकि उक्त कर की वसूली अधिनियम के अधिरोपित होने से पूर्व भी की जा रही थी)
6	पैरा 6 (7) (1)	अनिर्णीत	
7	पैरा 6 (7) (2)	अनिर्णीत	
8	पैरा 6 (7) (3)	अनिर्णीत	
9	पैरा 7 (2)	निर्णीत	(नगर परिषद सन्तोषगढ़ में चालक का पद निदेशक शहरी विकास विभाग शिमला के पत्र संख्या यू0डी0–एच (बी) (1)–36/99–11306–09 दिनाँक 18.6.12 द्वारा सृजित करते हुए चालक की सेवाएं नियमित कर दी गई है)
10	पैरा 7 (3) (ii)	अंशतः निर्णीत	(श्री जसविन्द्र सिंह वर्क सुपरवाईजर की जन्म तिथि की पुष्टि की गई)
11	पैरा 8 (1) (i)	अनिर्णीत	
12	पैरा 8 (1) (ii)	अनिर्णीत	
13	पैरा 8 (3) (i)	अनिर्णीत	
14	पैरा 8 (4)	अनिर्णीत	
15	पैरा 8 (5)	अनिर्णीत	
16	पैरा 8 (6) (i)	अनिर्णीत	
17	पैरा 8 (6) (ii)	अनिर्णीत	
18	पैरा 8 (8)	अनिर्णीत	

19	पैरा 9 (1) (i)	अनिर्णीत	
20	पैरा 9 (1) (ii)	निर्णीत	(₹1900 की वसूली जी–8 संख्या 251/41 दिनाँक 15.7.2014 द्वारा कर ली गई है जिसकी पुष्टि नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा रा0व0मा0पा0 कुगढ़त में आकर करवा दी गई है)
21	पैरा 9 (2)	अनिर्णीत	
22	पैरा 9 (4) (ii)	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार संविदाकार को जितनी मदें जारी की गई थी उनकी वसूली कर ली गई है। मैसर्ज गुप्ता बिल्डर्ज ऊना ने अपने पत्र में मदों की गलत राशि दर्शाई थी जिसकी पुष्टि कर ली गई है तथा नगर परिषद ने Consumption के अनुसार जारी मदों की वसूली कर ली है।)
23	पैरा 9 (4) (iii)	अनिर्णीत	
24	पैरा 9 (4) (iv)	अनिर्णीत	
25	पैरा 9 (4) (vii)	निर्णीत	(पार्किंग किराए पर दे दी गई है)
26	पैरा 9 (5)	अनिर्णीत	
27	पैरा 9 (6) (i)	अनिर्णीत	
28	पैरा 9 (6) (ii)	निर्णीत	(सचिव नगर परिषद सन्तोषगढ़ द्वारा दिए गए सटिप्पण उत्तर के अनुसार जिन गलियों में यह कार्य करवाया गया हे उनकी चौड़ाई कम होने के कारण ट्रैक्टर नहीं जा सकता है तथा Head Load की अदायगी की गई है)
29	पैरा 9 (8)	निर्णीत	(₹4250 की वसूली जी–8 संख्या 128/20 दिनाँक 21.8.2012 द्वारा कर ली गई है)

(ढ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2012

1	पैरा 4(क) (ख)	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या "4" में दर्शा दी गई है)
2	पैरा 4 (ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या (5) में दर्शाई गई)
4	पैरा 5 (ख) (i)	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
5	पैरा 5 (ख) (ii)	अनिर्णीत	
6	पैरा 5 (ग)	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
7	पैरा 5 (घ)	अंशतः निर्णीत	((i) ₹175000 की राशि आंबटित कर दी गई है (ii) ₹39000 की राशि के बारे में कार्रवाई वाँछित है)
8	पैरा 6 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (क) में दर्शाई गई है)
9	पैरा 6 (ख) (i)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (ख) (i) में दर्शाई गई है)
10	पैरा 6 (ख) (ii)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (ख) (ii) में दर्शाई गई है)
11	पैरा 6 (ख) (iii)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (ख) (iii) में दर्शाई गई है)
12	पैरा 6 (ख) (iv)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (ख) (iv) में दर्शाई गई है)
13	पैरा 6 (ख) (v)	अंशतः निर्णीत	(i) ₹50000 की वसूली की पुष्टि निम्नानुसार कर ली गई है)

क्र0सं0	**जी–8 सं0**	**राशि**
1	236 / 32	15000
2	237 / 44	10000

			3 239 / 22 15000
			4 243 / 10 5000
			5 243 / 48 5000
			50000
			(ii) ₹143000 / – की राशि वसूली हेतु शेष है)
14	पैरा 6 (ख) (vi)	अंशतः निर्णीत	(i) ₹10100 की वसूली की पुष्टि निम्नानुसार कर ली गई है)
			क्र0सं0 **जी–8 सं0** **राशि**
			1 177 / 20 6000
			2 204 / 6 1000
			3 213 / 44 600
			4 222 / 31 800
			5 239 / 23 700
			6 240 / 20 1000
			10100
			(ii) ₹50192 / – की राशि वसूली हेतु शेष है)
15	पैरा 6 (ख) (vii)	अंशतः निर्णीत	((i) ₹48000 की वसूली बारे पुष्टि जी–8 संख्या 206 / 44 दिनाँक 24.9.2013 द्वारा कर ली गई है
			(ii) ₹20365 की राशि वसूली हेतु शेष है)
16	पैरा 6 (ग)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (ग) में दर्शा दी गई है)
17	पैरा 6 (घ)	निर्णीत	(शराब कर की वसूली कर ली गई है)
18	पैरा 6 (ङ)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (v) में दर्शा दी गई है)
19	पैरा 6 (च)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 (घ) में दर्शा दी गई है)
20	पैरा 6 (छ)	निर्णीत	(अनुबन्धों की पुष्टि कर ली गई है)

21	पैरा 6 (ज)	निर्णीत	(जी–8 संख्या 193/12 दिनाँक 1.7.2013 द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹5000/– की वसूली की पुष्टि कर ली गई है)
22	पैरा 7	अनिर्णीत	
23	पैरा 8 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 (क) में दर्शा दी गई है)
24	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत	
25	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत	
26	पैरा 9 (क)	अनिर्णीत	
27	पैरा 9(ख)	निर्णीत	(नगर परिषद के सचिव द्वारा दिए गए सटिप्पण उत्तर के अनुसार नगर पंरिषद सन्तोषगढ़ के पास जो स्वां नदी है वह निजि भूमि होने के साथ–साथ खनन के लिए बन्द है तालाब में कीचड़ होने के कारण रेत नहीं भरा जा सकता था जिसके लिए मिटटी की आवश्यकता थी)
28	पैरा 10 (क)	अनिर्णीत	
29	पैरा 10 (ख)	निर्णीत	(₹6393 की वसूली संविदाकार से मापन पुस्तिका संख्या 26 पृ0 22 पर कर ली गई है)
30	पैरा 11	निर्णीत	(₹16257 की वसूली संविदाकार की प्रतिभूति राशि के भुगतान वाऊचर 90 दिनाँक 29.5.2014 द्वारा कर ली गई है)
31	पैरा 12 (क)	निर्णीत	(सटिप्पणी उत्तर के अनुसार स्टील की लम्बाई Depressed Postion की वजह से बढ़ी है)
32	पैरा 12 (ख)	अनिर्णीत	
33	पैरा 12 (ग)	निर्णीत	(निष्पादित मात्रा 1.47 घन मी0 Mumty Roofing Slab की थी)
34	पैरा 12 (घ)	अनिर्णीत	
35	पैरा 12 (ङ)	अनिर्णीत	
36	पैरा 12 (च)	निर्णीत	(6 लाख की वसूली की पुष्टि निम्नानुसार

			IDSMT मापन पुस्तिका में कर ली गईः–) **मापन पुस्तिका पृ0सं0** **राशि** 50 100000 76 300000 76 200000 **600000**
37	पैरा 13 (क)	निर्णीत	(नगर परिषद के सचिव द्वारा दिए गए सटिप्पण उत्तर के अनुसार सीईओ हिमुडा से तकनीकी स्वीकृति लेकर ही कार्य करवाया गया था। उक्त स्वीकृति में निर्देश दिए गए थे कि कार्य Structure Drawing के बाद शुरू किया जाए। Articlated से Structure Drawing अनुमोदित करवाने से पश्चात अनुमान तथा Structrual Drawing की मात्राओं के अन्तर आया है। वास्तव में हिमुडा के निर्देशानुसार कार्य अनुमोदित Structural Drawings के अनुसार करवाया गया है)
38	पैरा 13 (ख)	निर्णीत	(₹377 की वसूली जी–8 संख्या 251/22 दिनाँक 14.7.2014 द्वारा कर ली गई है जिसकी पुष्टि नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा रा0व0मा0पा0 कुगढत में आकर करवा दी गई है)
39	पैरा 13 (ग)	निर्णीत	(सुरक्षित अग्रिम की राशि की वसूली कर ली गई है। भविष्य में नियमानुसार ही सुरक्षित अग्रिम जारी किए जाएं)
40	पैरा 13 (घ)	निर्णीत	(₹382/– की वसूली जी–8 संख्या 251/23 दिनाँक 14.7.2014 द्वारा कर ली गई है जिसकी पुष्टि नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा रा0व0मा0पा0 कुगढत में आकर करवा दी गई

			है)
41	पैरा 13 (ङ)	अनिर्णीत	
42	पैरा 14 (क, ख)	निर्णीत	(अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
43	पैरा 15	निर्णीत	(अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
44	पैरा 16	अनिर्णीत	
45	पैरा 17	निर्णीत	(अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
46	पैरा 18	अनिर्णीत	
47	पैरा 19	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 (ज) में पुनः प्रारूपित)
48	पैरा 20	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या (9 झ) में पुनः प्रारूपित)
49	पैरा 21	अनिर्णीत	
50	पैरा 22	अनिर्णीत	
51	पैरा 23	अनिर्णीत	
52	पैरा 24	अनिर्णीत	
53	पैरा 25	अनिर्णीत	
54	पैरा 26	निर्णीत	(राशि का समायोजन कर दिया गया है)
55	पैरा 27 (क, ख)	निर्णीत	(रसीदों की पुष्टि कर ली गई है)
56	पैरा 28	निर्णीत	(चालान संख्या 1 दिनाँक 16.9.2010 की पुष्टि कर ली गई है)
57	पैरा 29 (क)	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अनुसार)
58	पैरा 29 (ख)	अनिर्णीत	
59	पैरा 29 (ग)	अनिर्णीत	
60	पैरा 30 (क)	अनिर्णीत	
61	पैरा 30 (ख)	अनिर्णीत	
62	पैरा 31	अनिर्णीत	